बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/ पटना, दिनांकः–............................

संसं0–03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में उद्योग मित्र योजना हेतु रू 134.00 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में उद्योग मित्र योजना हेतु रू 134.00 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1741 दिनांक–17.07.2025 द्वारा रू 66.00 लाख (रूपये छियासठ लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

3. उद्योग मित्र सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित है, जो पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन है।

उद्योग मित्र द्वारा उद्योग स्थापना के प्रारंभिक अवस्था से उत्पादन स्तर तक उद्योग का चयन, चयनित उद्योग की अद्यतन परियोजना की रूप–रेखा, आवश्यक फॉर्म, सूचनओं से उद्यमियों को लाभांवित किया जाता है। विभाग के आवश्यकता अनुसार औद्योगिक विषयों पर सेमिनार/रोड–शो/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योग मित्र में सिंगल विण्डो के तहत कॉल सेन्टर स्थापित है। जिसके माध्यम से विभागीय योजना की जानकारी एवं विस्तृत सूचनाएं तथा पृच्छा का निराकरण उद्यमियों को शीघ्र दी जाती है। विभागीय विभिन्न बोर्ड, निगम, प्राधिकार एवं संस्थानों की नीतियों एवं योजनाओं को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में विज्ञापित किया जाता है।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन बजट शीर्ष : मांग संख्या–23, मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 लघु उद्योग, उपशीर्ष 0106–उद्योग मित्र, विपत्र कोड 23. 2851001020106 के विषय शीर्ष 0106.31.04 सहायक अनुदान वेतन मद से रू 80.40 लाख (रूपये अस्सी लाख चालीस हजार) मात्र एवं विषय शीर्ष 0106.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से रू 53.60 लाख (रूपये तिरपन लाख साठ हजार) मात्र अर्थात कुल रू 134.00 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख रूपये) विकलनीय होगा, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ठ बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

6. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA 018 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी फार्म–BTC 42 पर की जायेगी।

7. योजना के लेखा–ज़ोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ, पटना की होगी।

8. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

10. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना पी0एल0 खाता का धन–ऋण ज्ञापन (Plus Minus Memorandom) ससमय तथा विधिवत महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

11. राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक–एम–4–12/2013(खण्ड–1) 6487, दिनांक–21.07.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुसार की जायगी।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15 के पृष्ठ–160/टि0 पर दिनांक–15.01.2026 को प्राप्त है।

13 प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0– 03/उ०नि०(उद्योग मित्र) योजना–03/15 के पृष्ठ–161/टि0 पर दिनांक–29.01.2026 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./ पटना, दिनांक.........................
सं0सं0–03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./ पटना, दिनांक.........................
सं0सं0–03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 434 / पटना, दिनांक 6/2/26
सं0सं0–03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/प्रशाखा–1 योजना (स0)/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।